मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक- 468/1941/2017/1/पांच, भोपाल, दिनांक 22 जून 2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (समस्त)
विभागाध्यक्ष/कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय :: मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अनुसार मध्यप्रदेश में स्थित केन्द्र/राज्यों के शासकीय विभागों, शासकीय संस्थानों, शासकीय एजेंसियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों (Local Authorities) द्वारा स्त्रोत पर की जाने वाली कर की कटौती (TDS) के संबंध में।

मध्यप्रदेश में दिनांक 1.7.2017 से लागू होने जा रहे मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 19) की धारा 51 में परिभाषित विभागों, संस्थानों, एजेंसियों तथा स्थानीय प्राधिकारी, जो कि टैक्स डिडक्टर कहलायेगें, के द्वारा करयोग्य सप्लाई प्राप्त करने पर स्त्रोत पर कर की कटौती करने संबंधी प्रावधान दिये गये हैं। इन डिडक्टर्स द्वारा रू.2,50,000/- (स्टेट जी.एस.टी./सेन्ट्रल जी.एस.टी./इन्टीग्रेटेड जी.एस.टी. की राशि को छोड़कर) से अधिक मूल्य के करयोग्य माल अथवा सेवाओं की सप्लाई प्राप्त किये जाने की स्थिति में, ऐसी सप्लाई का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान किये जाने के पूर्व, भुगतान की जाने वाली राशि की 2 प्रतिशत राशि की स्त्रोत पर कटौती (टीडीएस) की जाना है। सप्लायर की इनवाईस में कर राशि पृथक प्रदर्शित नहीं होने पर भी टी.डी.एस. किया जाना है।

सप्लायर की लोकेशन मध्यप्रदेश में होने तथा सप्लाई म.प्र. राज्य के अंदर होने पर, स्त्रोत पर की जाने वाली 2 प्रतिशत कर कटौती में से 1 प्रतिशत स्टेट जी.एस.टी. तथा 1 प्रतिशत राशि सेन्ट्रल जी.एस.टी. की होगी। सप्लायर की लोकेशन म.प्र. के बाहर की होने पर, यह अंतर्राज्यीय सप्लाई होगी, अतः भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से इन्टीग्रेटेड जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी।

यदि सप्लायर तथा डिडक्टर दोनों की ही लोकेशन म.प्र. से भिन्न किसी अन्य राज्य की है, तो डिडक्टर को उस राज्य के लिये पंजीयन प्राप्त करना होगा तथा इसी प्रकार टी.डी.एस. करना होगा। उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश शासन का कोई कार्यालय अथवा संस्थान दिल्ली में होने पर उसे दिल्ली में पंजीयन प्राप्त करना होगा तथा टी.डी.एस. करना होगा।

जी.एस.टी. में पंजीयन

मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 24(vi) के अनुसार टी.डी.एस. करने के दायित्वाधीन डिडक्टर्स के लिए अधिनियम की धारा 22 के अनुसार अधिनियम के लागू होने के 30 दिन के अंदर पंजीकृत होना अनिवार्य है। यह पंजीयन प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) द्वारा पृथक–पृथक प्राप्त किया जाना है। वर्तमान में टी.डी.एस. करने के लिए मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के तहत एनरोल्ड डी.डी.ओ. का जी.एस.टी. एक्ट में माईग्रेशन नहीं होगा, अपितु उन्हें नवीन पंजीयन प्राप्त करना होगा।

पंजीयन प्राप्त करने के लिए आवेदक को जी.एस.टी.एन. पोर्टल www.gst.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन (GST REG-07) करना होगा। पंजीयन के लिए आवेदक डिडक्टर का TAN अथवा PAN, ई–मेल, मोबाईल नम्बर होना अनिवार्य है। आवेदन के विभाग द्वारा अनुमोदित होने पर, डिडक्टर पोर्टल से अपना पंजीयन प्रमाण पत्र (GST REG-06) में डाउनलोड कर सकते है। पंजीयत डिडक्टर द्वारा भविष्य में टी.डी.एस. करने का दायित्व समाप्त हो जाने की स्थिति में आवेदन देकर पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कराया जा सकता है।

जी.एस.टी. में विवरण पत्र प्रस्तुति

प्रत्येक डिडक्टर के लिए जिस माह में टीडीएस किया गया हो, उस माह के अगले माह की 10 तारीख तक टीडीएस की गई राशि का शासन को भुगतान किया जाना अनिवार्य है। जिस माह में टी.डी.एस. किया गया हो, ऐसे प्रत्येक माह के कर के भुगतान पश्चात, मासिक विवरण पत्र, अगले माह की 10 तारीख तक जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर (GSTR-07) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिस माह में टी.डी.एस. नहीं किया गया है, उस माह का विवरण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। विवरण पत्र में सप्लायर्स का टी.डी.एस. प्रस्तुत होने पर, संबंधित सप्लायर को, जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर यह टी.डी.एस. की राशि (GSTR-2A) प्रदर्शित होगी। इस आधार पर सप्लायर्स इस कर राशि की छूट ले सकेगे।

टी.डी.एस. राशि का भुगतान किये जाने के 5 दिन के अंदर डिडक्टर द्वारा सप्लायर को टी.डी.एस. की गई कर राशि के प्रमाण स्वरूप GSTR-7A (TDS Certificate) में प्रमाण पत्र जारी करना होगा।

अनुपालन शास्ति एवं ब्याज

टैक्स डिडक्टर द्वारा कर राशि का टी.डी.एस. नहीं करने अथवा कम टी.डी.एस. करने पर, टी.डी.एस. नहीं की गई राशि के बराबर अथवा रू.10000/– (इनमें से जो भी अधिक हो) की राशि की शास्ति डिडक्टर पर आरोपित होगी।

टी.डी.एस. का भुगतान करने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में सप्लायर को टी.डी.एस. सर्टिफिकेट जारी नहीं करने पर, डिडक्टर पर विलंब से सर्टिफिकेट जारी करने पर, विलंब अवधि के लिये रू.100/– प्रतिदिन की दर से (अधिकतम रू.5000/–) की शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

टी.डी.एस. की राशि का शासन को भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं करने पर डिडक्टर को 1.5 प्रतिशत मासिक दर से ब्याज देना होगा।

संक्रमण परिस्थिति

यदि कोई विक्रय जी.एस.टी. एक्ट लागू होने के पूर्व हो चुका है तथा उसकी इनवाईस भी जी.एस.टी. एक्ट लागू होने के पूर्व जारी हो चुकी है, तो ऐसे विक्रय पर जी.एस.टी. एक्ट के तहत टी.डी.एस. नहीं किया जायेगा। ऐसी सप्लाई पर म.प्र. वैट अधिनियम के टी.डी.एस. संबंधी प्रावधान लागू होगे।

किसी भी प्रकार की और जानकारी की आवश्यकता होने पर जीएसटीएन की बहुभाषी हेल्प लाईन, अपने क्षेत्रीय अथवा निकटस्थ वाणिज्यिक कर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सभी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त परिपत्र एवं विधिक प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर, विभाग